(132)

पुनरीक्षण क्रमांक : - - - - - -

निगरानी 2374-PBR-15 पेशी दिनांक : 22/7/2015

न्या० रा० श्रीमान् राजस्व निरीक्षक प्रकोष्ठ, राजस्व मंडल, इंदौर संभाग, इंदौर

1. लालाराम पिता भागीरथ जी,
जाति - गारी, उम्र 90 साल, धंधा- कृषि,
निवासी- ग्राम बुलान, तह० देपालपुर,
जिला- इंदौर, (म0 प्र0)

2. लक्ष्मण पिता श्री रामेश्वर, जाति -गारी,
उम्र 35 साल, धंधा - कृषि कार्य,
निवासी- ग्राम बुलान, तह० देपालपुर,
जिला- इंदौर, (म0 प्र0) --- पुनरीक्षणकर्ता,
आवेदकगण,

विरुद्ध

1. संतोषबाई पति श्री राधेश्याम,
उम्र 45 वर्ष, धंधा - गृहिणी,
निवासी-ग्राम सलावली, तह० देपालपुर,
जिला- इंदौर, (म0 प्र0)

2. राधेश्याम पिता श्री छब्बुलाल/रघुनाथ कलोता,
उम्र- 48 साल, धंधा - कृषिकार्य,
निवासी- ग्राम- सलावली, तह० देपालपुर,
जिला- इंदौर, (म0 प्र0) --- प्रत्यर्थी,
अनावेदकगण,

श्री कौशल शर्मी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 22-7-15 को इंदौर कैम्प पर प्रस्तुत
22-7-15

रिवीजन अंतर्गत धारा - 50, म० प्र० भू राजस्व संहिता के तहत ।

माननीय महोदय,

रिवीजनकर्ता के द्वारा अपर आयुक्त महोदय, के समक्ष म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44, (2) के अंतर्गत द्वितीय अपील दिनांक 19. 06. 2015 को प्रस्तुत की गई थी जो लगभग 216 दिवस अवधि बाधित थी । माननीय अपर आयुक्त महोदय के द्वारा मामला क्रमांक -

शेष ---- 2पर

322/2014-2015 /अपील तोलाराम विरुद्ध जोरे । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विलंब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान धारा 5 के अंतर्गत मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उल्लेखित ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुति में विलंब को क्षमा किया जा सके । समयावधि बाधित अपील को सुनने की अधिकारिता अपीलीय अधिकारी को नहीं है । इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत 1992 रा.नि. 209 उक्त न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि, जब कोई अपील समयावधि में हो तब अपील न्यायालय उसे सुनने के लिए सक्षम होता है । जो न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति के अधीन समय बाधित अपील नहीं सुनी जा सकती, उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील समयावधि बाधित होने से अपील सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । इससे असंतुष्ट होकर सदर ~~अपील~~ रिविजन माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है:-

// रिविजन के तथ्य //

रिविजन के तथ्य इस प्रकार से हैं कि, रिविजनकर्ता / अपीलार्थी ने पुराने प्रकरण क्रमांक 7अ13/91-92 के आदेश के आधार पर सर्वे नंबर 69, रेस्पाडेंट / प्रत्यर्थी से नियमित जिला स्कीम से क्रय की है, उसका मेड़ से रास्ता दिलाया जाना बताकर, रास्ता खुलाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । रेस्पाण्डेन्ट/ प्रत्यर्थी ने जवाब पेश कर आवेदन को निरस्त करने का आवेदन दिया ।

7अ/13/91-92 के आदेश दिनांक 28.04.92 में रेस्पाडेंट / अपीलार्थी/ रिविजनकर्ता पक्षकार नहीं थे । इसलिए पूर्व का आदेश रिविजनकर्ता पर बंधनकारिक नहीं है । रिविजनकर्ता/ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 28.04.2013 में आवेदक का रास्ता निरस्त किया गया । इसलिए उक्त आदेश के आधार पर धारा 132 म. प्र. भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन का अधिकार नहीं था । रिविजनकर्ता/अपीलार्थी ने रजि. रजिस्ट्री द्वारा जमीन खरीदी थी । इसमें रास्ता का यहाँ कोई उपयोग नहीं

--3--

XXXIX(a)-BR(H)-11

तोलाराम / जेतोबी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-237 -P/15 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.11.2017	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। अनावेदकगण की ओर से श्री अरुण मानकर अभिभाषक उपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) (अरुण मानकर एडवो.)

[कृ. प. उ.